UPM0010070562026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी–(सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2140/2026

मौ0 जावेद पुत्र छोटे,

निवासी–ग्राम मिलक हिसामपुर (मुण्डी मिलक), थाना मैनाठेर, जिला मुरादाबाद ।

–––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य –––अभियोजन

मुकदमा अपराध सं0–244/2020

धारा–3/5क/8 उ.प्र. गौहत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम

थाना–मैनाठेर, जिला मुरादाबाद,

20–07–2026

(1)– यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त मौ0 जावेद की ओर से उपरोक्त अपराध एवं धाराओं में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2)– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा उ0नि0 मनोज कुमार द्वारा हाजा पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि आज दिनांक 11–9–2019 को उ०नि० मुकेश कुमार सिंह मय हमराही कां० रामवीर सिंह व कां० अफसर अली के थाना हाजा से बहवाले रपट नं०–06 समय 03.46 बजे रवाना होकर वास्ते देखरेख शाति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी चैकिंग सन्दिग्ध व्यक्ति रोक ग्राम जुर्म जरायम थाना क्षेत्र में मामूर थे, तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि अभी अभी तीन व्यक्ति दो रास बैलों को बेरहमी से मारते पीटते हुए वध करने के लिए ग्राम मुण्डी मिलक की ओर लेकर जा रहे हैं। जल्दी की जाय तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर जैसे ही हम पुलिस वाले ग्राम मुण्डी मिलक की तरफ जाने वाले खड़ंजे पर 200 मी० आगे बढ़े तो मो०सा० की हेड लाइट की रोशनी में मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि जो तीनों व्यक्ति को रास बैल रंग सफेद, लाल को लेकर जा रहे हैं, वही ये व्यक्ति हैं। मुखबिर वापस चला गया कि हम पुलिस वालों ने टार्च की रोशनी मार कर देखा तो बीट कां० रामवीर ने कहा कि इन तीनों को

मैं पहले से जानता पहचानता है कि हम पुलिस वालों को देख एक व्यक्ति जिसके हाथ में प्लास्टिक का थेला था, जोर से चिल्लाया आरिफ, आबिद भागो पुलिस आ गयी कि हम पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देख प्लास्टिक का थेला फेक तीनों व्यक्ति बेलों को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे कि हम पुलिस वाले टार्चों की रोशनी मारते हुए पीछा किया तो अन्धेरा व ईख के खेत का फायदा उठाकर भाग गये। भागने वालो में का० रामवीर ने एक का नाम आरिफ उर्फ लल्ला चौधरी पुत्र छिददा व दूसरे का नाम आबिद पुत्र आरिफ व तीसरे का नाम जावेद पुत्र छोटे समस्त निवासीगण ग्राम मुण्डी मिलक, थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद बताया वही पर गिरा हुआ प्लास्टिक के थेला चेक किया तो उसमे एक लोहे की कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का बेटा लगा है। दो लोहे की छुरी, एक सुजा तथा एक लकड़ी का गट्टा मिला, जिसे मौके पर कब्जा पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर किया गया व नमुना मोहर तैयार किया गया। बरामद दो रास बेलों की हुलिया निम्नवत् है–एक रास बैल रंग सफेद सींग बड़े उपर को पूछ सफेद लम्बी उम्र करीब 8 वर्ष, (2) एक रास बैल रंग लाल सींग बाहर को मुड़े हुये, पूछ काली लाल लम्बी उम्र करीब 9 वर्ष बरामद हुऐ। बरामदा 02 रास गौवंशीय पशुओं व मांस काटने के उपकरण समय करीब 05.10 बजे कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर जनता के गवाहन फराहम करने की कोशिश की गयी तो भलाई बुराई के वास्ता देकर बिना नाम पता बताए चले गये। बरामद दो रास बेल को कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द मौके पर तैयार कर गवाही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर बनवाये गए।

(3)– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथपत्र में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि, आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूठा फंसाया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने गौवंशीय पशु का वध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त ने गौवंशीय पशुओं के साथ मारपीट एवं क्रूरता नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त को घटनास्थल से फरार दिखाया है। आवेदक/अभियुक्त से गौवंशीय पशुओं की कोई बरामदगी नहीं हुई है। आवेदक/अभियुक्त का बरामद गौवंशीय पशुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के सहअभियुक्त आरिफ उर्फ ल्ला व आविद की जमानत न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा आवेदक/अभियुक्त का अन्य कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है। अतः आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

(4)– अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अग्रिम

जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(5)– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

(6)– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि आवेदक/अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है और न ही उसके कब्जे से कोई गौवंशीय मांस बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त दौराने विवेचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस0 बेल एप्लीकेशन नंबर–40681/2019, जावेद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 30.09.2019 के अनुक्रम में अग्रिम जमानत पर था। घटना के समय अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय था। अवर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के अवर न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध 7 वर्ष तक दण्डनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अन्तिम बनाम सी0बी0आई0 में प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों के अनुरूप आवेदक/अभियुक्त का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त मौ0 जावेद की ओर से प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि, जैसे ही आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में गिरफ्तार किया जाता है अथवा आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जाता है, तब उसके द्वारा रुपए 1,00,000/–(एक लाख) की धनराशि के दो प्रतिभूगण एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाए–

1– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

2– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3– आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

4– आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व दं0प्र0सं0 की धारा–313 के कथनों को

अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व दं0 प्र 0 सं0 की धारा–313 के कथन अंकित किये जाने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा और शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। आवेदक/अभियुक्त के बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय उसके विरुद्ध धारा–229 ए भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5– आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

6– आवेदक/अभियुक्त अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण की सत्य प्रतिलिपि दाखिल करेगा।

7– उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रेषित की जाये।

दिनांक–20–07–2026

(सुरेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद।